भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4472

28 मार्च, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: एनएसओ द्वारा कृषि संबंधी सर्वेक्षण

4472. श्री राहुल रमेश शेवाले:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएसओ) ने यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है कि देश में कृषि उत्पादन का कुल कितना क्षेत्र पट्टे पर ली गई भूमि के अंतर्गत है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर महराष्ट्र और ओडिशा में तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसी भूमि पर काम कर रहे काश्तकार किसानों को पीएम-किसान सम्मान निधि सहित डीबीटी योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का देश में काश्तकार किसानों की सहायता के लिए किसी सहायता या राजसहायता पर विचार करने का है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का ऐसे किसानों को भारतीय कृषि क्षेत्र में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए किस प्रकार सहायता करने का विचार है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(छ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा आयोजित ग्रामीण भारत में कृषक परिवारों की स्थिति और परिवारों की भूमि एवं पशुधन धृतियों का मूल्यांकन, 2019, एनएसएस 77 वां दौर (जनवरी-दिसंबर, 2019) के अनुसार देश में महाराष्ट्र और ओडिशा सहित पट्टे पर दी गई भूमि तथा परिवारों द्वारा संचालित (केवल कृषि उपयोग के लिए) का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। पीएम-किसान उन सभी किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000/- रुपये की आय सहायता प्रदान करता है, जिनके पास कुछ अपवर्जन मानदंडों के अधीन, स्वयं की खेती योग्य भू-जोते हों,

चाहे भूमि का आकार कुछ भी हो। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए खेती योग्य भूमि का स्वामित्व बुनियादी पात्रता बनी हुई है।

(घ) से (छ): संशोधित ब्याज छूट योजना वर्ष 2006-07 में किसानों द्वारा केसीसी के माध्यम से प्राप्त अल्पावधि कृषि-ऋण को रियायती ब्याज दर पर उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। योजना के तहत, किसान जो मालिक कृषक - व्यक्तिगत/संयुक्त उधारकर्ता दोनों; काश्तकार किसान, मौखिक पट्टेदार और बंटाईदार; स्वयं सहायता समूहों या काश्तकारों सहित किसानों के संयुक्त देयता समूहों आदि को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण दिया जाता है। किसानों को ऋणों के शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान के लिए अतिरिक्त 3% छूट दी जा रही है; इस प्रकार प्रभावी ब्याज दर को घटाकर 4% प्रति वर्ष कर दिया गया।

अनुबंध

दिनांक 28.03.2023 को देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4472 के उत्तर के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पट्टे पर दी गई भूमि और परिवारों द्वारा संचालित (केवल कृषि उपयोग के लिए)

क्र.सं.	राज्य	संचालित और पट्टे पर दिया गया अनुमानित क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)	
		जुलाई - दिसंबर' 2018	जनवरी-जून'2019
1	आंध्र प्रदेश	1,770	1,229
2	अरुणाचल प्रदेश	4	3
3	असम	289	112
4	बिहार	917	1,036
5	छत्तीसगढ़	290	100
6	गुजरात	158	43
7	हरियाणा	793	865
8	हिमाचल प्रदेश	27	18
9	जम्मू और कश्मीर	2	2
10	झारखंड	120	55
11	कर्नाटक	261	268
12	केरल	96	101
13	मध्य प्रदेश	557	776
14	**महाराष्ट्र**	**417**	**162**
15	मणिपुर	12	0
16	मेघालय	5	2
17	मिजोरम	0	0
18	नागालैंड	1	0
19	**ओडिशा**	**1,230**	**397**
20	पंजाब	583	546
21	राजस्थान	746	314
22	सिक्किम	1	1
23	तमिलनाडु	193	162
24	तेलंगाना	507	226
25	त्रिपुरा	27	20
26	उत्तराखंड	28	37
27	उत्तर प्रदेश	1,262	1,469
28	पश्चिम बंगाल	560	474
29	पूर्वोत्तर राज्यों का समूह	50	26
30	संघ राज्य क्षेत्रों का समूह	6	1
31	**अखिल भारत**	**10,882**	**8,436**

स्रोतः एनएसएस रिपोर्ट संख्या 587

*****